न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

प्र0क्र0 R-3777-III/13 वर्ष 2013

मुन्नालाल तनय सरूवा पटेल
निवासी ग्राम सुकवां तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.) निगरानीकर्ता

बनाम

1. मातादीन तनय छुटिया कुर्मी
2. गिरजा प्रसाद तनय सरूवा पटेल
3. धूराम तनय रामसहाय
4. लछिया बेवा रामसहाय

समस्त निवासीगण ग्राम सुकवां तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.) अनावेदक

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 30.09.2013 प्र.क्र. 292 /बी–121/12–13 आज्ञा अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर
निगरानी अंन्तर्गत धारा 50 **M.P.R.C.1959**

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित सादर विनय प्रस्तुत करता है–

1– यह कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 115, 116 म.प्र.भू–रा.सं. 1959 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार क्षेत्र महेबा के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसमें मान्नीय न्यायालय द्वारा कई अनियमितताएं की गई । जिस कारण उक्त प्रकरण को स्थानांतरण करने बावत् आवेदक ने धारा 30 म.प्र.भू–रा.सं. 1959 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र सुदृढ़ आधारों पर अनुविभागीय अधिकारी महोदय छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसमें दिनांक 30.09.13 को एस.डी.ओ. महोदय ने बिना पक्षकरों को तलब किए तथ्यों को समझे बिना जल्दवाजी में आदेश पारित कर प्रकरण का स्थानांतरण करने से इंकार कर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। जिससे दुखित होकर यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष सुदृढ़ आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानी के आधार

2– यह कि उक्त प्रकरण भूमि खसरा नम्बर 895/2, 896/1, 895/1/1, 357, 534, 798, 938/1/2, 1344/1, 1345, 1408, 1415, 1429/1, 1481/1/2, 254, 238, 436, 569, 895/1/2, 938/1, 1344/2, 1400, 1403, 1429/2, 1470/1, 1481/1/1, 1632/10, 1639/3, 1657, 1661, 1665 कुल किता 30 एकत्र रकवा 8.447 हे. स्थित ग्राम सुकवां तहसील व जिला छतरपुर मध्य प्रदेश के रिकार्ड दुरूस्त हेतु प्रस्तुत किया है उक्त भूमि खसरा नम्बरानों का बटवारा श्रीमान् तहसीलदार महोदय, नौगांव द्वारा दिनांक 20.01.1982 रजि0दा0खा0 क्रमांक 01 के माध्यम से किया गया था। जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज तथा वर्ष 1979 से 1984 के खसरा टीप में अंकित है। तथा वर्ष 1981 से तभी से सभी पक्षकार अपने–अपने हिस्से में प्राप्त भूमि पर काबिज कास्त हैं। उक्त आदेश द्वारा आवेदक के भूमि खसरा नम्बर 938/1/2, 895/1 आवेदक को प्राप्त हुई थी। जिसमें अधिक परिश्रम कर आवेदक ने उक्त भूमि को कृषि योग्य बनाया तथा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3777-तीन/2013 जिला छतरपुर मुन्नालाल विरूद्ध मातादीन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 292/बी-121/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 30-09-2013 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 15-10-2013 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 8/1/19
सदस्य